

F 16-89/2015/1135

①

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक / प्र.अ. / विधि- 751 / लो.स्वा.यां.वि. / 2015
प्रति,

भोपाल, दिनांक

14/9/15

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय भोपाल

Shri Bais-
16-09-15
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पंजी. क्र. 36/6/15
दिनांक 16/9/15

विषय:- प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/14 म.प्र.शासन विरुद्ध विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में
आदेश दिनांक 24.4.15 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने
बाबत ।
सन्दर्भ:- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.खंड उज्जैन का पत्र क्र. 5199 दि.10.8.15 (छायाप्रति
संलग्न)

-0-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

विषयान्तर्गत प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.खंड उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
आर.पी. 393/2014 म.प्र. शासन विरुद्ध विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में आदेश दिनांक. 24.4.15 के
विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति प्रदान करने हेतु
निवेदन किया गया है ।

प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा एस.एल.पी. दायर करने की आवश्यकता नहीं है का
अभिमत दिया है, छायाप्रति संलग्न है किन्तु इसी प्रकार के एक अन्य प्रकरण चांदी प्रसाद उनियाल व
अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के प्रकरण एस.एल.पी.
(सिविल)क.5899/2012 द्वारा पारित आदेश दि.17 अगस्त 2012 (छायाप्रति संलग्न) में त्रुटिपूर्ण वेतनमान
निर्धारण से अधिक भुगतान की वसूली याचिकाकर्ता के वेतन से बारह एक समान किशतों में वसूल करने
आदेशित किया गया है ।

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.खंड उज्जैन की अनुशंसा एवं चांदी प्रसाद उनियाल व
अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित आदेश अनुसार प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/14 म.प्र.
शासन विरुद्ध विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में आदेश दिनांक 24.4.15 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च
न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने
एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का
कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Shri Bais-
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. / प्र.अ. / विधि-751 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इंदौर
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल उज्जैन
3. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उज्जैन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Apeal in case

विषयान्तर्गत प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.खंड उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म.प्र. शासन विरुद्ध विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में आदेश दिनांक. 24.4.15 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है ।
Shri Bais-
21/9/15
प्रमुख अभियंता
21.9.15

संक्षेपिका

दिनांक 1.8.2015

प्रकरण कमांक RP-393/15

श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य कार्यभारित हेण्डपंप तकनिशियन

वादी का नाम	श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य कार्यभारित हेण्डपंप तकनिशियन खण्ड उज्जैन
वाद का विषय	श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य कार्यभारित हेण्डपंप तकनिशिनो को नियुक्ति दिनांक से गलत वेतनमान प्रदान किया गया था जिसकी वसूली खण्ड कार्यालय द्वारा की जा रही थी जिसके विरुद्ध संबंधित हेण्डपंप तकनिशियनो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में रिट याचिका प्रस्तुत कर वसूली नहीं करने का निवेदन किया गया ।
मुल प्रकरण 4457/09	श्री अजय सिंह राठौर व अन्य कार्यभारित हेण्डपंप तकनिशियनो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में प्रकरण प्रस्तुत कर देय अधिक भुगतान की वसूली नहीं करने का निवेदन किया गया। संलग्न:- 1
प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 31-8-09	प्रमुख अभियंता लोक स्वा0यां0विभाग भोपाल द्वारा आदेश कमांक 146/विधि/भोपाल दिनांक 31.8.09 के द्वारा अधीहस्ताक्षरकर्ता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया । संलग्न:- 2
जवाबदावा दिनांक 14-10-09	प्रकरण में विभाग की ओर से दिनांक 14.10.09 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । संलग्न:- 3
आदेश दिनांक 30-07-10	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.07.10 को आदेश पारित कर देय अधिक भुगतान की राशि की वसूली नहीं करने का आदेश पारित किया गया । संलग्न:- 4
शासकीय अधिवक्ता का अभिमत दिनांक 16--9-10	शासकीय अधिवक्ता श्री दिपक रावल द्वारा आदेश दिनांक 30.07.10 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैच के समक्ष रिट अपील करने का अभिमत प्रदान किया गया । संलग्न:- 5
प्रभारी अधिकारी नियुक्त दिनांक 10.1.11	मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश कमांक 66/7076/2010/1/34 /दिनांक 10.1.11 के द्वारा अधीहस्ताक्षरकर्ता को रिट अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया। संलग्न -6
प्रकरण कमांक WA 67/11	शासकीय अधिवक्ता के अभिमतानुसार माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश दिनांक 30.7.10 के विरुद्ध रिट अपील कमांक डब्ल्यू.ए. 68/11 प्रस्तुत की गई । संलग्न:- 7

आदेश दिनांक 18-2-11	माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 18.2.11 को निरस्त कर दिया । संलग्न:- 8
शासकीय अधिवक्ता का अभिमत दिनांक 11-3-11	शासकीय अधिवक्ता श्री विवेक पटवा से दिनांक 11.3.11 को अभिमत प्राप्त किया गया । अभिमतानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने का कहा गया । संलग्न:- 9
वादी द्वारा प्रस्तुत रिट अपील WA 385/10	वादी विक्रम सिंह मालवीय व अन्य कार्यभारित तकनिशियनो द्वारा भी माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.7.10 के विरुद्ध रिट अपील क्रमांक डब्ल्यू.ए. 381/10 प्रस्तुत की गई
आदेश दिनांक 15-1-14	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दिनांक 15.1.14 को आदेश पारित कर रिट अपील को स्वीकार किया गया है। संलग्न:- 10
शासकीय अधिवक्ता का अभिमत दिनांक 30-4-14	शासकीय अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 15.1.14 के विरुद्ध, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू अपील प्रस्तुत करने का अभिमत प्रदान किया गया है। संलग्न:- 11
माननीय उच्च न्यायालय इंदौर RP 393/15	शासकीय अधिवक्ता के अभिमतानुसार माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश दिनांक 15.1.14 के विरुद्ध रिव्यू अपील क्रमांक आर.पी. 393/15 प्रस्तुत की गई । संलग्न:-12
आदेश दिनांक 24.4.15	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दिनांक 24.4.15 को आदेश पारित कर रिट अपील को निरस्त कर दिया।
अभिमत	शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने एवं एस.एल.पी. नही करने का अभिमत प्रदान किया है।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा0यां0खण्ड उज्जैन
men

5

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P.
BENCH AT INDORE

W.P.NO. 4457 /09(S)

PETITIONERS: Vikramsing and others
Versus
RESPONDENTS: State of M.P. and others

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	ANNEXURE PAGE NO
1.	Petition	
2.	Affidavits	P/1
3.	Order dated 3.3.99	P/2
4.	Order dated 16.10.89	P/3
5.	Order dated 3.9.89	P/4
6.	Order dated 10.8.90	P/5
7.	Order dated 2/7 July 98	P/6
8.	Order dated 26.6.08	P/7
9.	Representation	P./8
10.	Order dated 11.5.09	

Submitted by

Indore, dated

Counsel for petitioner

DY. ADVOCATE GENERAL



Office of The Advocate General
High Court of M.P. Bench, INDORE
☎ (O) 2510139, 2524755, 2524756
Fax : 0731-2528847

D.O No. 8315 Date 28/7/20

To,
The Executive Engineer,
Public Health and Engineering,
Division UJJAIN, (MP).

SUB. YOUR LETTER NO.3591/15 DATED 07.07.2015 SEEKING
LEGAL OPINION IN RESPECT OF THE FINAL ORDER
DATED 24.04.2015 PASSED IN R. P. NO.393/2014
[STATE OF M.P & ORS. VS. VIKRAM SINGH MALVIYA].

[LEGAL OPINION]

With reference to the aforementioned subject my opinion has been sought in respect of the final order dated 24.04.2015 passed in Review Petition No.393/2014 [State of M.P & others Vs.Vikram Singh Malviya] arising out of Writ Appeal No.385/2010 decided on 15.01.2015 whereby Writ Petition No.4457/2009(S) filed by Vikram Singh Malviya and others allowed by the learned Single Judge in the light of judgment delivered in the case of Sahibram Vs. State of Haryana 1995 Suppl. (1) SCC 18.

I have gone through the file and have perused the entire record and I am of the considered opinion that there is no error in order dated 15.01.2012 passed in Writ Appeal No.385/2014 nor any error

ANNEXURE-C HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO. OF 20

ORDER SHEET (CONTINUATION)

DATE & S. NO. OF THE ORDER	ORDER
	<p style="text-align: center;"><u>R. P. No.393/2014</u></p> <p><u>24.04.2015</u></p> <p>Ms. Vinita Phaye, learned Government Advocate for the petitioners - State.</p> <p>Heard on the question of admission as well as on I.A. No.11112/2014, which is an application for condonation of delay.</p> <p>Learned counsel for the petitioners submit that on the basis of wrong fixation of pay-scale, the recovery of the order was quashed by the learned Single Single Judge and against the aforesaid order, writ appeal filed by the State has been dismissed vide order dated 14.02.2011 in W.A. No.67/2011. Thereafter, the writ appeal of the respondents were entertained by the Division Bench of this Court.</p> <p>Considering the fact that wrong pay fixation was mentioned in the operative paragraph and, therefore, allowed the writ appeal to that extent and directed that appellants' pay was correctly fixed and the recovery was wrongly made. With the aforesaid modification, the writ appeal No.385/2010 was allowed.</p> <p>In view of the aforesaid, we are of the view that there is no error apparent on the face of the record. No case to review the order dated 15.01.2014 passed in W.A. No.385/2010, as prayed is made out. I.A. No.11112/2014 as well as R. P. No.393/2014 are accordingly, dismissed.</p> <div style="text-align: right;"> <p>(P. K. Jaiswal) Judge</p> <p>(R. K. Kaushal) Judge</p> </div> <p style="text-align: center;">200335/2015</p> <p>It has been used for Court records purpose only and not for publication in the Courts of Law.</p>



ANNEXURE-C

COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO. OF 20

ORDER SHEET (CONTINUATION)

19

DATE & S.
NO. OF THE
ORDER

ORDER

W.A. No.385 of 2010

15.01.2014

Mr. S.M. Bapat, learned counsel for the appellants.

Mr. Sudarshan Joshi, learned Panel Lawyer for the respondents/State.

With consent heard finally.

This appeal is directed against the order dated 30.07.2010 passed by the learned Single Judge in W.P. No.4457/2009.

According to the appellants (writ petitioners), the entire observations made by the learned Single Judge are in their favour still the writ petition has been 'partly allowed' instated of ordering it to be 'allowed'.

Learned counsel for the appellants submits that as per the order passed by the learned Single Judge himself, the appellants-writ petitioners were entitled for revised pay-scale of Rs.3500-5200/-, in the circumstances, the observation that the pay-fixation was wrong and clearly erroneous.

Having gone through the entire order passed by the Writ Court, we are of the view that it has wrongly been



155



20

ANNEXURE-C

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO. OF 20

ORDER SHEET (CONTINUATION)

DATE & SIGNATURE OF THE ORDER


ORDER

mentioned in the order that the pay-fixation was wrong, which may be typographical error. Accordingly, we allow this appeal and modify the order passed by the learned Single Judge to the effect that the words "wrong pay-fixation" mentioned in the operative paragraph as also "partly allowed" are deleted and instead of it, they be treated that "petitioner's pay was correctly fixed and the recovery was wrongly made" and instated of treating the writ petition to be partly allowed, it be treated as allowed.

With the aforesaid modification in the order passed by the learned Single Judge, this writ appeal stands allowed.

(Shantanu Kemkar)
Judge

(J.K. Maheshwari)
Judge



N.R.



(3)

फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21-3-16

क्रमांक एफ 16-89/2015/1/34,:: सिविल संहिता 1908 (अधिनियम संख्याक-3) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए के प्रकरण क्रमांक 385/2010 श्री विक्रम सिंह मालवीय एवं अन्य विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध मान्0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर करने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, उज्जैन को प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने के लिए कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अपनी बातों के साथ-साथ ऐसी रीति में, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेंगा:-


- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरंत जांच करेगा, जिसकी आवश्यकता हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता की सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट रूप से की जावेगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा।
- (5) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-
 - क- वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - ख- प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग- उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईन करना प्रस्तावित है, जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - घ- मामलों के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, जिसमें वाद पत्र की सुनवाई तारीख भी वर्णित होना चाहिए।

75

21.9.15

- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और वाद मामले में प्रकरण और प्रगति के नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया म0प्र0 राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने तथा राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा एवं वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज छुपा हुआ नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह, जैसे ही वाद का निर्णय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को भेजेगा।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामले में, जहां किसी वाद प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह आदेश की प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा, शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के.सेन्द्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

निरंतर.....3/-

क्रमांक एफ 16-89/2015/1/34

भोपाल, दिनांक 21.3.16

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इन्दौर, म0प्र0।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, उज्जैन, म0प्र0 एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित प्रकरण की रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव की भेजनी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। साथ ही मूल याचिका की प्रति भी तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।




अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

21/3/15
shri mema


21.9.15